

2015/00138

मोहनपुर, कोकरा

19/10/15

4-1-2012

~~2-2-2016~~

सरकार (कायदा-129)

2/2/16

28/4/16

PORTAL

जनरल रुहस सिविल रुहस 129 अपेण्डेक्स फार्म नं.-8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा (राज.)

19/7/16

1/12/16

क्रिम मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फेशला 4	फेशला नम्बर
212 RTI ग्रामपञ्च	50/15	26/15	10/5/2018	15/11/15 8/11/15 12/7/17 19/9/17 28/11/17 15-1-2018 9/4/18 13/6/18

अनवान

श्री श्री सु सिंह श्री शंकर सिंह श्री केशव सिंह
 निवासी राजपुरा निवासी निवासी निवासी
जीमका 2457

अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/अपोलाइट/

डिक्रीदार

अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रिस्पाडेण्ट/
 नंदयुनाथ

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

स्थान

मुकाम

श्रीहर सिंह

बनाम

श्रीहर सिंह

क्रमांक

212

नं.

50

सन् 15

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नाम व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

17/10

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अगि, वादी प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी 29/10/17 दिनांक 29/10/17
पत्रावली वास्तु 29/10/17 आगन्दा दिनांक 28/11/17
को पेश हो !

आज्ञा से
रीडर उपखण्ड अधिक
भाण्डलमद

28/11/2017 पत्रावली पेश हुई / उभय पक्ष उपस्थित /
पत्रावली वास्तु 28/11/17 आगन्दा दिनांक 28/11/17
15/1/2018 को पेश हो /
2

15/1/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अगि, वादी प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी 15/1/18 दिनांक 15/1/18
पत्रावली वास्तु 15/1/18 आगन्दा दिनांक 9/4/18
को पेश हो !

आज्ञा से
रीडर उपखण्ड अधिक
भाण्डलमद

9/4/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अगि, वादी प्रतिवादी उपस्थित
पीठासीन अधिकारी 9/4/18 दिनांक 9/4/18
पत्रावली वास्तु 9/4/18 आगन्दा दिनांक 19/6/18
को पेश हो !

आज्ञा से
रीडर उपखण्ड अधिक
भाण्डलमद

10/5/18

पत्रावली मय उपपक्ष द्वारा केंद्र गीहनपुरा में
पेश हुई। प्रावृत्ति पत्र में उभय पक्षों के
बतला सूची कर गीहन प्राथी द्वारा निवेदन किया
हुं साथ ही मय उपपक्ष द्वारा केंद्र गीहन
उपपक्ष 261, 264, 264/1, 366, 361

371, 375, 417, 505, 639 | 297
 कुल शकल 31 बीघा 15 बिस्वा अरि
 पर विपक्षी शर्तों के अस्थायी निषेधाज्ञा
 है पाबन्द करमावे। कमील जमीन द्वारा
 पाए शर्त अनुलोप पर पडि विपक्षी
 वे भी अपनी सहमति है।
 हमने उभयपक्षों के बहस रिकार्ड
 का अवलोकन किया जिससे जलोरकाग
 के कानूनी शर्तों के अनुलोप उभा जाण
 अचित हैं। अतः पडि विपक्षी द्वारा की
 कस की अपनी सहमति है।
 अतः मौजा नीम अखंड में स्थित कर
 कर्णित आशुविमाल में अंशमूल पर के
 निस्कारण लड भौके व रिकार्ड के अधीन
 बनाये कर्णने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा
 का अंतर्गत कदिश दिया जाता है।
 पत्रावली संसद अमाह हाउस नम्बर
 57 है।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डलागढ़

2/2/2018